न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
30 / 2024	2024 / 328	11.03.2024	17.10.2025

उनवान प्रकरण

लाली देवी पत्नि कैलाश चंद जाति अहीर निवासी ठीकरिया तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज. वादीया

बनाम

1. ताराचंद यादव पुत्र शिम्भू दयाल
2. बोदूराम पुत्र बिडदू
3 मुकेश कुमार यादव पुत्र शिम्भु दयाल
4 मन्ना लाल पुत्र रताराम
5. राकेश पुत्र फत्ताराम
6. श्रवण देवी पत्नि फत्ताराम
7. सूण्डाराम पुत्र बिडदूराम
8 हनुमान पुत्र बिडदूराम
समस्त अहीर निवासी ठीकरिया तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड,
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
10 सब रजिस्ट्रार महोदय, सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
प्रतिवादीगण

वादीया वकील श्री हजारी लाल यादव
प्रतिवादी सं. 01, 03, 04, 07 वकील श्री नरेश यादव
प्रतिवादी सं. 02, 05, 06, 08 की एकपक्षीय कार्यवही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1 वादीया की ओर से जरिये अधिवक्ता वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा न0 277 / 1.74 वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा में स्थित है जिसे आगे वाद में आराजी मुतदाविया से संबोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 है तथा मुताबिक हिरसा जमांबदी मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया का आज दिन तक मौके व राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा शामिल में ही पक्षकारान उपरोक्त भूमि को काश्त कर रहे है इसलिए पक्षकारान के मध्य आये दिन काश्त संबंधी व लगान संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते है।वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी मुतदाविया का मौके व राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे अब गत सप्ताह से साफ इंकार हो गये है। इसलिए वादी को हक हो गया है कि जरिये अदालत आराजी हाल खसरा नम्बर 277 / 1.74 वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 है के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार भूमि का निर्धारण करते हुए एवं रास्ते की समुचित व्यवस्था करते हुये भूमि का तकास्मा किया जावे एवं इस हेतु तहसीलदार पावटा को मध्यस्थ नियुक्त किया जावे एवं वादीके हिस्से में आई भूमि का अलग बटा नम्बर डाल हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2 प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी मुतदाविया की भूमि का बिना विधिवत बंटवारा किये दिगर व्यक्तियों को विशेष भू भाग को रहन–बेचान करने व मौके पर जबरन मुख्य रास्ता निकालने व प्रार्थी के हिस्से की भूमि में लगी तारबंदी को तोड़कर एवं भूमि में नींव खोदकर निर्माण कार्य कर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है एवं मना करने पर नहीं मान रहे एवं मरने मारने पर उतारू है एवं ऐलानिया धमकी दे रहे है उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि मे चारदीवारी लगा कब्जा कर लेंगे। वादी ने प्रतिवादीगण को बहुत समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे इसलिए वादी को हक हो गया है कि वे जरिये अदालत प्रतिवादीगण को इस अमर से पांबद करावे की वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 277/1.74 वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा की भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे वादी को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा दिगर व्यक्ति को रहन– बेचान नहीं करे के लिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी का गत सप्ताह विधिवत हाल राजस्व रिकार्ड व मौके पर तकास्मा करवाने से इंकार करने एवं बिना तकास्मा किये जबरन वादी के हिस्से की भूमि में रास्ता निकालने व वादी की भूमि में की गई तारबंदी को तोडने, भूमि को दिगर व्यक्तियों को रहन–बेचान करने एवं भूमि पर निर्माण करने पर आमादा होने से पैदा हुआ है। आराजी मुतदाविया व फरिकेन न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में निवास करते है इसलिए उपरोक्त वाद सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को हासिल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसुची के अनुसार नियत कोर्ट फीस 4/– रूपए पर वाद प्रस्तुत है।

3 अतः वादीया दावेदार है कि एक किता डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रस्तुत की जावे कि (अ) आराजी हाल खसरा नम्बर 277/1.74 वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा का वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य जमाबंदी में हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जानुसार भूमि का निर्धारण करते हुए एवं रास्ते की समुचित व्यवस्था करते हुये भूमि का तकास्मा किया जावे एवं इस हेतु तहसीलदार पावटा को मध्यस्थ नियुक्त किया जावे एवं वादी के हिस्से में आई भूमि का अलग बटा नम्बर डाल हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम की जावे। तथा प्रतिवादी को इस अमर से पांबद करावे की वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 277/1.74 वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा की भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे वादी को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा दिगर व्यक्ति को रहन– बेचान नहीं करे। अन्य जो दादर्शी मान्य न्यायालय वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध उचित समझे प्रदान की जावे।

4 दावा काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01, 03, 04, 07 मय अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी सं. 01, 03 व 07 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादी सं. 02, 05, 06, 08 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 25.11.2024 को वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 29.09.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

5 वादी वकील ने तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया जिस पर प्रतिवादी वकील ने अनापत्ति जाहिर करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा/काउन्टर क्मेल अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 277/1.74 वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	लाली देवी पत्नि कैलाश चंद हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा.देह	277/1/1.17 हैक्ट0 भूमि।
2	ताराचन्द पुत्र शिम्भूदयाल हि. 1/4 जाति अहीर मुकेश कुमार पुत्र शिम्भूदयाल हि. 1/4 जाति अहीर मन्नालाल पुत्र रत्ताराम हि. 1/2 जाति अहीर सा.देह	277/2/0.0415 हैक्ट0 भूमि।
3	बोदुराम पुत्र बिडदु हि. 177/1057 जाति अहीर श्रवण देवी पत्नि फताराम हि. 33/151, सूण्डाराम पुत्र बिडदूराम हि. 40/151, राकेश पुत्र फताराम हि. 29/1057, हनुमान पुत्र बिडदु हि. 340/1057 सा.देह राहिन बदस्तूदर	277/3/0.2885, 277/4/0.24 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
30/2024	2024/328	11.03.2024	17.10.2025

उनवान प्रकरण

लाली देवी पत्नि कैलाश चंद जाति अहीर निवासी ठीकरिया तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.
वादीया

बनाम

1. ताराचंद यादव पुत्र शिम्भू दयाल
2. बोदूराम पुत्र बिडदू
3 मुकेश कुमार यादव पुत्र शिम्भु दयाल
4 मन्ना लाल पुत्र रताराम
5. राकेश पुत्र फत्ताराम
6. श्रवण देवी पत्नि फत्ताराम
7. सूण्डाराम पुत्र बिडदूराम
8 हनुमान पुत्र बिडदूराम
समस्त अहीर निवासी ठीकरिया तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड,
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
10 सब रजिस्ट्रार महोदय, सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
प्रतिवादीगण

वादीया वकील श्री हजारी लाल यादव
प्रतिवादी सं. 01, 03, 04, 07 वकील श्री नरेश यादव
प्रतिवादी सं. 02, 05, 06, 08 की एकपक्षीय कार्यवही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा/काउन्टर क्मेल अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 277/1.74 वाके मौजा ठीकरिया तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	लाली देवी पत्नि कैलाश चंद हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा.देह	277/1/1.17 हैक्ट0 भूमि।
2	ताराचन्द पुत्र शिम्भूदयाल हि. 1/4 जाति अहीर मुकेश कुमार पुत्र शिम्भूदयाल हि. 1/4 जाति अहीर मन्नालाल पुत्र रत्ताराम हि. 1/2 जाति अहीर सा.देह	277/2/0.0415 हैक्ट0 भूमि।
3	बोदुराम पुत्र बिडदु हि. 177/1057 जाति अहीर श्रवण देवी पत्नि फताराम हि. 33/151, सूण्डाराम पुत्र बिडदूराम हि. 40/151, राकेश पुत्र फताराम हि. 29/1057, हनुमान पुत्र बिडदु हि. 340/1057 सा.देह राहिन बदस्तूदर	277/3/0.2885, 277/4/0.24 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ___ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	|	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	|
जोड		जोड	

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)